


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, घनबाद।

सांदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० 62/1619/19  
 बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से  
 संबंधित।

| दिनांक  | आदेश फलक  | उपयुक्त |
|---------|---|---------|
| 13/3/19 | <p>झारखंड सरकार के आदेश-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सांघिय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा-<del>हावापला</del> मीजा न०-09 खाता न० 28</p> <p>प्लॉट न० 184 रकबा 5 1/2 की भूमि जो गैरमजकूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 341 पर जमाबंदी रयत <u>श्रीमती अना</u><br/> <u>देवी. राजेश प्रसाद दे</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपयुक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सांदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपयुक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध फोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लान एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे।<br/>                     अभिलेख दिनांक 22/3/19 को रखे।</p> |         |

  
 13-3-19  
 अंचल अधिकारी,  
 घनबाद।


अभिलेख उपस्थापित अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
27-3-19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19


अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


  
10-6-20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा झामाघाटा मौजा न० 01 खाता 28 प्लॉट न० 184 रकबा 05-000 भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रेयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न० 395 (11) 03-04 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

  
20/6/20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20/6/20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।